कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 1546/1जी– FP/UK/TRANS/21116/2016 देहरादूनः दिनांकः 08 नवम्बर,2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद बागेश्वर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के0वी0 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।
(Online file no -FP/UK/TRANS/21116/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रही है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी– FP/UK/TRANS/21116/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद – बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वितीय कार्य खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हल्द्वानी।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः – जनपद बागेश्वर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के0वी0 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।
(Online file no - FP/UK/TRANS/21116/2016)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त परियोजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर में 0.12 है0 राजस्व वन भूमि, एवं 0.6 है0 वन पंचायत भूमि एवं 0.18 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.9 है0 वन भूमि 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर, तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **जनपद बागेश्वर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के0वी0 सबस्टेशन कपकोट तक 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः
नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 08/11/2017
स्थान : देहरादून